

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर ? 3, श्री अजय टम्टा जी ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1083(अ) जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-86 पर कानपुर-कबरई खण्ड के वर्तमान कि.मी. 7.430 से कि.मी. 130.100 (डिजाइन चेनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 123.863) तक चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दो) का.आ.1084(अ) जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-167बीजी के कि.मी. 0.000 से 36.400 तक सीतारामपुरम से दत्तालुर खंड की पैव्ड शॉल्डर्स के साथ दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीन) का.आ.1132(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-8बी पर कि.मी. 143.00 से कि.मी. 160.00 (गोंडल-रिब्दा खंड) तक तथा कि.मी. 0.00 से 143.00 और 160.00 से कि.मी. 217.00 (पोरबंदर-राजकोट-बामनबोर खंड) तक के खंड को बीओटी (टोल) आधार पर दो लेन से

चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चार) का.आ.1133(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-530बी के मथुरा से देवीनगर बाईपास के डिजाइन कि.मी. 0.000 से डिजाइन कि.मी. 66.000 तक के खण्ड को चार या अधिक लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पांच) का.आ.1179(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में एनएच-352ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 40.601 तक जींद-गोहाना खंड को चार या अधिक लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 2524/18/25]

(छह) का.आ.1180 (अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965 के डिजाइन कि.मी. 166.400 से कि.मी. 220.900 तक आलंदी पालखी मार्ग खंड को चार या अधिक लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सात) का.आ.1181(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-930 के डिजाइन कि.मी. 30.600 से कि.मी. 67.880 (वर्तमान कि.मी. 30.600 से कि.मी. 67.800) तक झलमला-शेरपुर खंड को पैव्ड शॉल्डर्स के साथ दो लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

- (आठ) का.आ.1242(अ) जो 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में एनएच-65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड के चेनेज कि.मी. 40.000 से कि.मी. 221.500 तक चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (नौ) का.आ.1243(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में एनएच-11 के डिजाइन कि.मी. 0.00 से कि.मी. 44.50 (वर्तमान कि.मी. 11.78 से कि.मी. 56.90) तक रेवाड़ी से नारनौल खंड और एनएच-11 के डिजाइन कि.मी. 0.00 से कि.मी. 14.40 (वर्तमान कि.मी. 0.00 से कि.मी. 14.40) तक रेवाड़ी बाईपास परियोजना के लिए दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की संशोधन शुल्क अधिसूचना का.आ. 5415 (अ) के प्रकाशन के बारे में है ।
- (दस) का.आ.1313(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली से प्रयागराज तक डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 87.156 (एनएच-24बी के वर्तमान कि.मी. 82.650 से कि.मी. 161.450 तक) को चार लेन वाला बनाने की परियोजना तथा एनएच 24बी के कि.मी. 161.450 से एनएच 30 के एनएच 2 (नया एनएच-19) के कि.मी. 641.350 तक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 2525/18/25]

- (ग्यारह) का.आ.1314(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-330ए के कि.मी. 42.500 से कि.मी. 47.720 तक के खंड को छोड़कर, डिजाइन कि.मी. 00.000 से कि.मी. 50.120 (वर्तमान चेनेज कि.मी. 0.00 से कि.मी. 47.930) तक रायबरेली-जगदीशपुर खंड को पैव्ड शॉल्डर्स के साथ दो/चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बारह) का.आ.5320(अ) जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146 घोषित किया गया है ।

(तेरह) का.आ.5419(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753एल के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(चौदह) का.आ.5420(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पंद्रह) का.आ.5421(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347ख के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

- (सोलह) का.आ.5422(अ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के उसमें उल्लिखित खंडों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा गया है ।
- (सत्रह) का.आ.5531(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 61 घोषित किया गया है ।
- (अठारह) का.आ.5577(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.1670(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (उन्नीस) का.आ.5578(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनई 8, एनएच-751 और एनएच-751डी के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (बीस) का.आ.5579(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 अप्रैल , 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ.910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 2527/18/25]

- (इक्कीस) का.आ.5580(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2022 की

अधिसूचना संख्या का.आ.3140(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बाईस) का.आ.5581(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.146 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(तेईस) का.आ.5582(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौबीस) का.आ. 1278(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 की घोषणा की गई है ।

(पच्चीस) का.आ. 1279 (अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347बी और 753एल की घोषणा की गई है ।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (बारह) से (सोलह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2528/18/25]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) का.आ.1280(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.978(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.1281(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ.386(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.1282(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 2529/18/25]

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2530/18/25]

(3) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी
के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की
सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी
तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में
हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा
अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2531/18/25]

12.03½ hrs